

Order sheet [Contd]

case No: MJC- 24 / 17

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
22-09-17	<p>अपीलार्थीगण द्वारा श्री के०के० शुक्ला अधिवक्ता उप०।</p> <p>प्रत्यर्थीगण द्वारा श्री रमेश यादव अधिवक्ता उप०।</p> <p>उभयपक्ष के द्वारा व्यक्त किया गया कि मूल व्यवहारवाद कं० 81ए/16 में निर्णय घोषित किया जा चुका है। उक्त वाद दिनांक 14.09.2017 को निरस्त किया जा चुका है।</p> <p>चूंकि प्रकरण में अंतिम रूप से निराकरण होकर निर्णय हो गया है तब इस विविध अपील का कोई महत्व नहीं रह जाता है। यह विविध अपील निरर्थक हो गयी है।</p> <p>यह विविध अपील निरर्थक हो जाने के कारण निरस्त की गयी।</p> <p>मेमो ऑफ कोस्ट तैयार की जावे।</p> <p>प्रकरण का नतीजा दर्ज कर अभिलेखागार भेजा जावे।</p> <p>(मोहम्मद अज़हर) द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड म०प्र०</p>	